



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान आज दिनांक 08-01-2021 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं 1098/2008 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम में वारंटी अभियुक्त मुनेंद्र कुमार पुत्र श्री केशन निवासी ग्राम अमरौलिया थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्त/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति अभियान के दौरान निघासन पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 08.01.2021 को चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर ग्राम चचरा मोड ढखेरवा निघासन रोड से कलीम पुत्र जोखे नि0ग्राम डण्डूरी थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी से 01 तमन्चा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। कलीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग विवरण -**

मु0अ0सं0 005/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम कलीम पुत्र जोखे नि0 डण्डूरी थाना निघासन जनपद खीरी

**विवरण बरामदगी -**

01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**कलीम का पूर्व आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 141/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन
2. मु0अ0सं0 316/2015 धारा 41/411/414 भा0दं0वि0 थाना निघासन
3. मु0अ0सं0 643/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन

## थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस सहित अभियुक्त महफूज

### को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त महफूज पुत्र साबिर अली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 06/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 06

### अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी को निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों 1. राजा रस्तोगी पुत्र किशोरीलाल 2. राजू पुत्र सद्दीक 3. दीपू पुत्र झब्बूलाल 4. प्रताप पुत्र पुतू 5. अशोक पुत्र राजबहादुर 6. बब्लू पुत्र याकूब अली सर्व नि0गण हसनपुर कटौली थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1230 रू0 नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए।

## अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फरधान	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मितौली	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सम्पूर्णनगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	110 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार